संख्या: 78/2020/1924/छप्पन-2020-115/1989 T.C.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 13 नवम्बर, 2020

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी के विकास के अन्तर्गत आच्छादित 0.627038 है0 वन भूमि प्राप्त किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्याः 315/ आर0सी0एस0-2020-एम-3/2018 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी पर टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण से आच्छादित 0.627038 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 29.09.2020 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक शर्तों का अनुपालन होने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति जारी की जाएगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन हेतु रू0 5,78,669/- की धनराशि उ0प्र0 कैम्पा में जमा किया जाना है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति दी जानी है |

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाईपट्टी पर टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण से आच्छादित 0.627038 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन हेतु उ0प्र0 कैम्पा में रू0 5,78,669/- (रुपये पांच लाख अट्ठहतर हज़ार छह सौ उन्हतर मात्र) की धनराशि के व्यय की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है |

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा |

IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

V. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

VIII. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्वतन पर रखा जायेगा ।

4- जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे |

5- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या- 38 चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7- 1140/दस-2020 दिनांक 13 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं |

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्याः 78/2020/1924(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) मण्डलायुक्त, मिर्जापुर ।

(4) जिलाधिकारी, सोनभद्र ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र ।

(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

(8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।

(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।